रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 454] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 1972/आश्विन 21, 1894
No. 454] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 1972/ASVINA 21, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 13th October 1972

S.O. 660(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18-A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in partial modification of the Notified Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade S.O. No. 2279/18A/IDRA/71 dated the 7th June 1971, the Central Government hereby authorises with immediate effect the Delhi Administration to take over the management of the whole of the Ajudhia Textile Mills Limited, Delhi in place of the National Textile Corporation Ltd.

[No. F.28012/49/72-Tex(A).]

K. KISHORE, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1972

का० आ० 660 (अ).—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय के अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 2279/18ए/आई० डी० आर०ए/71, दिनांक 7 जून, 1971 का आंशिक संशोधन करते हुए, भारत सरकार दिल्ली प्रशासन को नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लि० के स्थान पर, तत्काल प्रभाव से समग्र अनुडया टैक्सटाइल मिल्स लि०, दिल्ली का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है।

[संख्या फा० 28012/49/72-टैक्स (ए)]

के० किशोर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972